[2022] 7 एस. सी. आर. 37

पीआर। आय कर आयुक्त 6

वी.

खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

(2022 की सिविल अपील संख्या 5804)

25 अगस्त, 2022

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और

सुधांशु धूलिया, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 36 (1) (vii)-"व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत आय का निर्धारण-आय की कटौती खराब ऋण-तत्काल मामले में, प्रतिवादी-निर्धारिती ने रुपये की राशि की कटौती की मांग की। 10 अपनी आय निर्धारित करने में करोड़

" व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ "आधार पर"

कि उक्त राशि निर्धारण वर्ष से दो साल पहले वाणिज्यिक परिसरों के अधिग्रहण के लिए एक बिल्डर के पास जमा की गई थी, लेकिन बाद में परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और इसलिए निर्धारिती ने धनवापसी की मांग की लेकिन बिल्डर ने राशि का भुगतान नहीं किया और इसलिए यह खराब ऋण बन गया है-खराब ऋण की कटौती के लिए दावा-आयोजितः निर्धारिती ने कहीं भी अभिलेख पर यह नहीं दिखाया कि बिल्डर को व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ उस समय में अग्रिम राशि दी गई थी जब तक कि निर्मित इकाई उसे दी जानी थी और क्षेत्र खरीदने के लिए सहमत हो गया था-निर्धारिती समर्थन करने में विफल रहा

यह तर्क कि राशि का भुगतान ऋण के रूप में किया गया था क्योंकि यह कहीं भी अग्रिम की अवधि, लागू शर्तों और देय ब्याज को स्थापित नहीं करता है-इसलिए, खराब और संदिग्ध ऋण के रूप में 10 करोड़ रुपये की कटौती के लिए निर्धारिती के दावे की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

आय कर अधिनियम, 1961: अध्याय IV, भाग D, ss. 28 , 36- दायरा

प्रत्येक निर्धारिती की आय का आकलन अध्याय के अनुसार किया जाना चाहिए।

चतुर्थ, अधिनियम का भाग डी - एस. 28 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्ष के तहत कर के लिए आय की प्रभारिता से संबंधित है।

अन्य कटौती यू/दी जाती है। अधिनियम की धारा 36, जो इस वाक्यांश के साथ शुरू होती है "निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती

उन मामलों के संबंध में जिनसे निपटा गया है, धाराओं में निर्दिष्ट आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी। 28 " - कम्प्यूटिंग के उद्देश्यों के लिए इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय, विशिष्ट कटौती के अलावा, 'अन्य कटौती' की गणना विभिन्न खंडों में की गई है। 36 हो सकता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. ओ. द्वारा अनुमत-प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए-यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय करता है और व्यवसाय से संबंधित ऋण को इस प्रकार लिख देता है -

अपरिवर्तनीय, यह धाराओं की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत संबंधित कटौती का हकदार होगा। 36 धाराओं की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन। 36 आई. टी. अधिनियम।

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 36 (1) (vii)-1989 का संशोधन-संशोधन से पहले और बाद की स्थिति-1989 में संशोधन से पहले,

उन मामलों में भी जहां निर्धारिती ने अपने खातों में केवल खराब ऋणों और उस पर ब्याज के लिए प्रावधान किया था, निर्धारिती के लाभ और हानि खाते से वास्तव में राशि का भुगतान किए बिना,

निर्धारिती अभी भी एस के तहत कटौती का दावा कर सकता है। 36 (1) (vii) अधिनियम का-1 अप्रैल 1989 से प्रभावी, नए को शामिल करने के साथ

एस के तहत स्पष्टीकरण। 36 (1) ((vii) निर्धारिती के खाते में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखे गए किसी भी खराब ऋण में उसके खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं होगा।

निर्धारिती-दूसरे शब्दों में, इस तारीख से पहले, एक प्रावधान को भी राइट ऑफ के रूप में माना जा सकता है, हालांकि, इस तारीख के बाद,

एस को स्पष्टीकरण। 36 (1) ((vii) केवल अपने आप में खराब ऋण के लिए प्रावधान धाराओं के तहत कटौती का हकदार नहीं था। 36 (1) (vii)।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रत्येक निर्धारिती की आय का आकलन अध्याय IV, भाग D द्वारा निर्धारित वैधानिक ढांचे के अनुसार किया जाना चाहिए।

अधिनियम से। वह अध्याय आय के शीर्षों से संबंधित है। अधिनियम की धारा 28 'व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ' शीर्षक के तहत कर के लिए आय की प्रभार्यता से संबंधित है। एक निर्धारिती जिन अन्य कटौती का दावा कर सकता है, उन्हें अधिनियम की धारा 36 के तहत विस्तार से बताया गया है, जो इस वाक्यांश के साथ शुरू होता है "निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती को आय की गणना में उसमें निपटाए गए मामलों के संबंध में अनुमति दी जाएगी।

धारा 28 में निर्दिष्ट। इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, विशिष्ट कटौती के अलावा, धारा 36 के विभिन्न खंडों में गणना की गई 'अन्य कटौती' को एओ द्वारा अनुमति दी जा सकती है। प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय

करता है और व्यवसाय से संबंधित ऋण को अपरिवर्तनीय बताता है, तो वह निस्संदेह जनसम्पर्क की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत संबंधित कटौती का हकदार होगा।

आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

धारा 36 आई. टी. अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन है। [पैरा 12] [47-जी-एच; 48 ए-बी]

2. 1989 में संशोधन से पहले, कानून यह था कि उन मामलों में भी जहां निर्धारिती ने अपने खातों में केवल एक प्रावधान किया था

निर्धारिती अभी भी अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के तहत कटौती का दावा कर सकता है। 1 अप्रैल 1989 से, धारा 36 (1) (vii) के तहत नए स्पष्टीकरण को शामिल करने के साथ, निर्धारिती के खाते में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया कोई भी खराब ऋण नहीं होगा। में खराब और संदिग्ध ऋण के लिए कोई भी 'प्रावधान' शामिल करें

निर्धारिती के खाते। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से पहले, एक प्रावधान को भी बख्शा माना जा सकता था। लेकिन इसके बाद

तारीख में, धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण ने एक बदलाव लाया। नतीजतन, केवल खराब ऋण के लिए एक प्रावधान का अधिकार नहीं था

खातों में उचित व्यवहार, साथ ही गैर-अनुपालन धारा 36 (1) (vii), 36 (2) और धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण की शर्तों के साथ निर्धारिती को कटौती का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। [पैरा 13,14] [48-सी-ई; 50-बी-सी]

कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम। आय आयुक्त

कर, त्रिशूर (2012) 3 एस. सी. सी. 784: [2012] 4 एससीआर 739 -

पर भरोसा किया।

3. इस न्यायालय के फैसलों से यह स्पष्ट है कि (i) किसी भी खराब ऋण या उसके हिस्से की राशि को अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में; (ii) निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखे गए ऐसे खराब ऋण या उसके हिस्से में निर्धारिती के खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं हो सकता है; (iii) कोई कटौती तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि "उस पिछले वर्ष की आय की गणना में ऋण या उसके हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया है जिसमें ऐसे ऋण या उसके हिस्से की राशि लिखी गई है या पिछले वर्ष की है", या बैंकिंग या धन-ऋण के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में उधार दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है जो -

निर्धारिती द्वारा किया जाता है; (iv) निर्धारिती [2022] 7 एस. सी. आर. साबित करने के लिए बाध्य है।

एओ को कि मामला अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के साथ-साथ धारा 36 (2) के अवयवों को संतुष्ट करता है। [पैरा 17] [51-जी-एच; 52-ए-सी]

(2010) 13 एस. सी. सी. 532; सदर्न टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम। संयुक्त आयकर आयुक्त, कोयम्बटूर [2010] 2 एससीआर 380 – पर भरोसा किया।

4. वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड से पता चलता है कि निर्धारिती के खातों में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि उसके द्वारा अग्रिम राशि दी गई थी

मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्रा. लि. व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लिमिटेड। इसका प्राथमिक तर्क यह था कि 10 करोड़ रुपये की राशि निर्मित परिसर खरीदने के उद्देश्य से दी गई थी। हालाँकि, राशि को 28.03.2009 पर लिखा गया था। जैसा कि सी. आई. टी. (ए) द्वारा उल्लेख किया गया है, इस प्रस्तुति को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, राशि के भुगतान के संबंध में, जिस समय तक निर्मित इकाई इसे दी जानी थी, उस क्षेत्र ने सहमति व्यक्त की।

कानून की आवश्यकता है कि खराब ऋण को पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया था संतुष्ट थे। इस राशि को क्यों नहीं बख्शा जा सकता था, इसका एक और कारण यह है कि निर्धारिती का दावा था कि यह मेसर्स भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। लिमिटेड अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए

संपत्ति-इसलिए, यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थी। इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता था। [पैरा

18] [52 - सी-जी]

ए. वी. थॉमस एंड कंपनी लिमिटेड, एलेप्पी बनाम। आयुक्त

आयकर विभाग, (बैंगलोर) केरल [1963] 1 पूरक। एससीआर 776-पर निर्भर। आय कर आयुक्त v. मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड

[1963] 2 एस. सी. आर. 976; मोहन मीकिन लिमिटेड बनाम।

पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड।

आयकर आयुक्त 2012 (340) आई. टी. आर. 109 (डी. एल.) हर्षद जे. चोकसी बनाम आय कर आयुक्त 349

आई. टी. आर. 250 (बॉम); आई. बी. एम. वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन बनाम।

आयकर आयुक्त 1990 (186) आई. टी. आर. 412 (बम)-संदर्भित।

मामला कानून

संदर्भ

[2012] 4 एससीआर 739

उस पर भरोसा करें

पै

रा 5

(2010) 13 एस. सी. सी. 532

उस पर भरोसा करें

पैरा

8

[2010] 2 एससीआर 380

उस पर भरोसा करें

पैरा

13

[1963] 1 पूरक। एससीआर 776

उस पर भरोसा करें

पैरा

18

[1963] 2 एससीआर 976

पैरा

20

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5804

2022 तक।

उच्च न्यायालय के 30.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 के आई. टी. ए. सं. 291 में मुंबई में न्यायिक कार्य।

एन. वेंकटरमन, एएसजी, एस. ए. हसीब, सुश्री नीला केदार गोखले,

एच. आर. राव, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री कविता झा, वैभव कुलकर्णी, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. विशेष अवकाश दिया गया। वकीलों की सहमति से

पक्षकारों, अपील पर अंततः सुनवाई हुई। राजस्व ने बॉम्बे उच्च न्यायालय 1 के एक निर्णय के खिलाफ अपील की है, जिसने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद, "आई. टी. ए. टी".) के एक आदेश 2 की पुष्टि की, जिसने प्रतिवादी (इसके बाद, "निर्धारिती") द्वारा 10 करोड़ रुपये के खराब ऋण को माफ करने के दावे को बरकरार रखा था।

2. निर्धारिती अचल संपत्ति विकास व्यवसाय करता है,

हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टी. डी. आर.) और वित्त में व्यापार। निर्धारण वर्ष 2009-2010 के लिए इसके विवरणी के संबंध में, निर्धारण अधिकारी

(इसके बाद, "एओ") ने आयकर अधिनियम 1961 (इसके बाद "अधिनियम" या "आईटी अधिनियम") की धारा 143 (2) के तहत 18.08.2010 पर एक नोटिस जारी किया, और यह भी कि

1 2017 के आई. टी. ए. संख्या 291 में, 30.04.2019 पर निर्णय लिया गया। 2 आई. टी. ए. संख्या 129/मम/2014 में, 04.03.2016 पर निर्णय लिया गया।

अधिनियम की धारा 142 (1) के तहत, विभिन्न विवरणों की आवश्यकता होती है। निर्धारिती ने अपना जवाब दाखिल किया। जांच मूल्यांकन पूरा किया गया था

परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई और परिणामस्वरूप, निर्धारिती ने बिल्डर से राशि वापस करने की मांग की। हालांकि, बाद वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। नतीजतन, निर्धारिती के निदेशक मंडल ने 2009 में इस राशि को खराब ऋण के रूप में बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया। यह भी था तर्क दिया कि राशि को ऋण के रूप में भी माना जा सकता है, क्योंकि निर्धारिती का एक उद्देश्य 'वित्तपोषण' था। ए. ओ. को 26.12.2011 दिनांकित एक पत्र में, निर्धारिती ने अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार तर्क दियाः

" हम प्रस्तुत करते हैं कि धारा 36 (2) के प्रावधानों के अनुसार,

व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में अग्रिम धन की राशि, जो खराब ऋण के समान ही स्वीकार्य है, भले ही कुल आय की गणना में राशि को ध्यान में नहीं रखा गया हो। ऋण देने के व्यवसाय में दिए गए अग्रिमों को बट्टे खाते में डालने के संबंध में यह अच्छी तरह से स्वीकृत स्थिति है। वर्तमान मामला पूरी तरह से धारा के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। 36 (2) इसलिए अग्रिमों को बख्शा जाता है

अनुमेय यू/एस। 36 (1) (vii)। ”

3. एओ ने "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" के तहत अपनी आय का निर्धारण करने में खराब ऋण के रूप में दावा की गई 10 करोड़ की राशि को अस्वीकार कर दिया। पीड़ित, निर्धारिती ने अपील की। अपीलीय आयुक्त (इसके बाद, "सी. आई. टी. (ए)") के समक्ष निर्धारिती ने ए. ओ. को लिखे गए 05.12.2011 दिनांकित पत्र की सामग्री को निम्नानुसार दोहरायाः

" हमारी नियमित व्यावसायिक गतिविधि के हिस्से के रूप में, कंपनी ने कुछ वाणिज्यिक परिसरों को खरीदने के लिए पुराने मुंबई पुणे राजमार्ग, खापोली में आगामी परियोजना में बुकिंग के माध्यम से आरक्षण किया था, जिसे मैसर्स द्वारा विकसित किया जाना था।

सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इसकी पुष्टि करने के लिए

उक्त वाणिज्यिक परिसरों का आरक्षण/आरक्षण, बिल्डर

10 करोड़ रुपये के अग्रिम के लिए जोर दिया। तदनुसार, कंपनी ने उक्त परियोजना में वाणिज्यिक परिसरों के आरक्षण/आरक्षण के लिए 06.03.2007 पर 10 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। चूँकि उक्त अग्रिम वाणिज्यिक संपत्ति की खरीद के लिए था,

उस पर ब्याज लेने का कोई सवाल ही नहीं था। हालांकि, पीआर।

आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.] बिल्डर की उक्त परियोजना के बारे में आगे का विकास है

कि बिल्डर हमसे अग्रिम लेने के बाद आगे नहीं बढ़ा

इस मामले में और संभवतः अन्य लोगों के लिए पैसे की हेराफेरी की

उद्देश्य। उनकी गैर-कार्यवाही के बारे में पता चलने पर

मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के साथ बैठकें। उन्होंने वापस करने के हमारे अनुरोध को नहीं सुना पैसा।

4. सी. आई. टी. (ए) ने खराब ऋण और ब्याज के कारण अस्वीकृति की पुष्टि की। आई. टी. ए. टी. के बजाय एक और अपील को प्राथमिकता दी गई, जिसने निर्धारिती की याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्व ने आईटी अधिनियम की धारा 260 ए के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपील की। बंबई उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपील में निर्णय की आवश्यकता वाले कानून का कोई सवाल ही नहीं उठा और परिणामस्वरूप राजस्व की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। 5. राजस्व ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) निर्धारिती को किसी भी खराब ऋण या हिस्से पर कटौती का दावा करने का लाभ देती है।

जो पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। यह लाभ अधिनियम की धारा 36 (2) के अधीन है। निर्धारिती पर एओ को यह साबित करना अनिवार्य है कि

मामला अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) और धारा 36 (2) दोनों के तत्वों को संतुष्ट करता है। यह आग्रह किया गया कि आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय ने गलती की

निर्धारिती की दलीलों को स्वीकार करना, जो किसी भी सामग्री या दस्तावेज़ द्वारा समर्थित नहीं थे। यह प्रस्तुत किया गया था कि निर्धारिती का मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट को 10 करोड़ देने का दावा। लिमिटेड के लिए

कथित परियोजना की किसी भी सामग्री से पुष्टि नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने यह भी अनुरोध किया था कि राशि डेवलपर को 'ऋण' के रूप में दी गई थी, जो पूरी तरह से एक अलग याचिका थी। यह याचिका निरर्थक थी।

ऋण की शर्तों, या ब्याज सहित पुनर्भुगतान की शर्तों के बारे में किसी भी सामग्री का। यह प्रस्तुत किया गया था कि अधिनियम की धारा 36 (2) के आधार पर, ए. ओ. को संतुष्ट होना चाहिए कि बख्शीश की कार्रवाई ठोस और उचित आधार पर है, न कि एक उपकरण पर। रिलायंस को कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड बनाम पर रखा गया था। आयकर आयुक्त, त्रिशूर 3 ने आग्रह किया

कि निर्धारिती एओ के समक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य है कि दावा एक ओर धारा 36 (1) (vii) और अधिनियम की धारा 36 (2) दोनों के तत्वों को संतुष्ट करता है।

6. राजस्व ने आगे तर्क दिया कि निर्धारिती का यह निवेदन कि राशि को वैकल्पिक रूप से व्यय के रूप में काटा जा सकता है

3 3 (2012) 3 एससीसी 784।

22] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 37 के तहत विशेष रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित अधिनियम में देरी की गई और पहली बार सी. आई. टी. (ए) के आदेश के बाद ही इसे उठाया गया।

7. निर्धारिती की विद्वान वकील सुश्री कविता झा ने यह आग्रह किया

न्यायालय आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि निम्नलिखित तथ्य और परिस्थितियाँ विवाद में नहीं थीं:

निर्धारिती अचल संपत्ति के व्यवसाय में लगा हुआ था

(i)

और वित्तपोषण।

संघ के ज्ञापन का उद्देश्य खंड

(ख)

निर्धारिती कंपनी ने ठेकेदारों, निर्माणकर्ताओं, भवनों के निर्माणकर्ताओं आदि के व्यवसाय के साथ-साथ अपने उद्देश्यों के रूप में धन प्राप्त करने या उधार देने को प्रतिबिंबित किया।

* 10 मेसर्स सी. भंसाली को 06.03.2007 पर करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था

iii)

डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड कुछ वाणिज्यिक परिसरों का अधिग्रहण करने और खोपोली में पुराने मुंबई-पुणे राजमार्ग पर अपनी आगामी परियोजना में आरक्षण के माध्यम से आरक्षण के लिए।

(iv)

उक्त 10 करोड़ रुपये मूल्यांकन के दौरान बट्टे खाते में डाल दिए गए थे।

वर्ष 2009-10।

10 करोड़ रुपये मेसर्स सी. भंसाली को 06.03.2007 पर दिए गए।

v)

वह अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में था।

अधिनियम की धारा 36 (2) के साथ पठित धारा 36 (1) (vii) के तहत एक खराब ऋण के समान। यह तर्क दिया गया कि 1989 में अधिनियम की धारा 36 के संशोधन के बाद, ए. ओ. के लिए ऋण को बट्टे

खाते में डालने के निर्णय की विस्तार से जांच करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वकील ने टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। आयकर आयुक्त, रांचिया। 9. सुश्री झा ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी निर्धारिती को अधिनियम की धारा 37 के लाभ का दावा करने से रोकता है, ऐसे मामले में जहां व्यय विशेष रूप से व्यापार या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया था या किया गया था, जहां वह किसी अन्य शीर्ष के तहत कटौती के लिए अपने दावे को स्थापित करने में सफल नहीं हो सकता है।

4 (2010) 13 एससीसी 532।

पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

10. विद्वान वकील ने आयकर बनाम के इस अदालत के आयुक्त के फैसले पर भी भरोसा किया। मैसूर शुगर कं. Ltd.5 साथ ही साथ

- उच्च न्यायालयों के निर्णय, जैसे कि मोहन मीकिन लिमिटेड।

आय कर के निशीशनर; हर्षद जे. चोकसी बनाम कमिश्नर टैक्स 7 और आईबीएम वर्ल्ड ट्रेड कॉर्पोरेशन बनाम आते हैं। कमिश्नर

उसकी प्रस्तुतियों को समर्थन देने के लिए टैक्स आते हैं।

विश्लेषण और निष्कर्ष

11. अधिनियम की धारा 36 'अन्य अनुच्छेदों' शीर्षक के तहत आती है, और इस मामले के उद्देश्य के लिए इसका प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है बनाम ः

" 36. (1) निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती को उसमें निपटाए गए मामलों के संबंध में अनुमति दी जाएगी।

धारा 28 में निर्दिष्ट आय की गणना करने में

***

(vii) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी बुरे ऋण या उसके हिस्से की राशि जिसे इस प्रकार बट्टे खाते में डाल दिया जाता है - पूर्ववर्ती के लिए निर्धारिती के खातों में अप्राप्य

वर्षः

बशर्ते कि किसी निर्धारिती के मामले में जिस पर खंड (viia) लागू होता है, ऐसे किसी ऋण या उसके हिस्से से संबंधित कटौती की राशि उस राशि तक सीमित होगी जिसके द्वारा ऐसी राशि लागू होती है।

ऋण या उसका कुछ हिस्सा उस खंड के तहत किए गए खराब और संदिग्ध ऋण खाते के प्रावधान में क्रेडिट शेष राशि से अधिक हैः

बशर्ते कि जहां ऐसे ऋण या भाग की राशि निर्धारिती की पिछले वर्ष की आय की गणना में इसकी राशि को ध्यान में रखा गया है जिसमें -

ऐसा ऋण या उसका कुछ हिस्सा अपरिवर्तनीय हो जाता है या पिछले वर्ष की शुरुआत में धारा 145 की उप-धारा (2) के तहत अधिसूचित आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों के आधार पर, खातों में दर्ज किए बिना, ऐसे ऋण या उसके हिस्से की अनुमति पिछले वर्ष में दी जाएगी जिसमें ऐसा ऋण या उसका हिस्सा अपरिवर्तनीय हो जाता है और -

(2) एससीआर 976।

(348) आईटीआर 109 (डेल)।

टीआर 250 (बॉम)।

(186) आईटीआर 412 (बम)।

यह समझा जाएगा कि इस उद्देश्य के लिए ऐसे ऋण या उसके हिस्से को खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

खंड।

स्पष्टीकरण 1. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में किसी भी खराब ऋण या उसके हिस्से को बट्टे खाते में डालने में निर्धारिती के खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2. - शंकाओं को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि खंड (vii) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए

उप-धारा (2) की इस उप-धारा और खंड (v) के संबंध में उसमें निर्दिष्ट लेखा केवल एक खाता होगा -

खंड (viia) के तहत खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और ऐसा खाता ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए अग्रिमों सहित सभी प्रकार के अग्रिमों से संबंधित होगा।

***

(2) खराब ऋण या उसके किसी हिस्से के लिए कोई कटौती करने में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगेः

((i) ऐसी किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा ऋण या

निर्धारिती की आय की संगणना करने में उसके उस भाग को ध्यान में रखा गया है जिसमें पिछले वर्ष की आय जिसमें ऐसे ऋण की राशि या उसके हिस्से को बट्टे खाते में डाल दिया गया है या पिछले वर्ष की आय, या बैंकिंग या धन-ऋण के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है जो निर्धारिती द्वारा किया जाता है। ((ii) यदि ऐसे किसी ऋण या ऋण के हिस्से पर अंततः वसूल की गई राशि ऋण या हिस्से और इस तरह की कटौती की गई राशि के बीच के अंतर से कम है, तो कमी की कटौती पिछले वर्ष में की जाएगी जिसमें अंतिम वसूली की जाती है।

बनाया जाता है;

((ग) ऐसे किसी भी ऋण या ऋण के हिस्से की कटौती की जा सकती है यदि इसे पहले ही पिछले वर्ष के खातों में (1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी भी पिछले निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछला वर्ष होने के नाते) अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है, लेकिन निर्धारण अधिकारी ने इसे इस आधार पर कटौती करने की अनुमति नहीं दी थी कि यह उस वर्ष में एक खराब ऋण बन गया था।

आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((iv) जहां ऐसा कोई ऋण या ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

1 अप्रैल, 1988 को शुरू होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक पिछले वर्ष या किसी भी पूर्व निर्धारण वर्ष) और निर्धारण अधिकारी का समाधान है कि ऐसा ऋण या अंश

पिछले किसी भी वर्ष में खराब ऋण बन गया जो कम नहीं हुआ

पिछले वर्ष से ठीक पहले के चार वर्षों की अवधि के अलावा जिसमें ऐसा ऋण या हिस्सा बट्टे खाते में डाल दिया जाता है,

धारा 155 की उप-धारा (6) के प्रावधान लागू होंगे।

(v) जहां ऐसा ऋण या ऋण का हिस्सा किसी निर्धारिती द्वारा की गई अग्रिमों से संबंधित है, जिस पर उप-धारा (1) का खंड (viia) लागू होता है, वहां ऐसी कोई कटौती की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि निर्धारिती ने ऐसे ऋण की राशि या ऋण के हिस्से को उसमें से डेबिट नहीं कर लिया हो।

पिछले वर्ष खराब और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान के लिए

उस खंड के तहत किया गया लेखा।

धारा 37 इस प्रकार हैः

" 37. (1) कोई भी व्यय (धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं होना और धारा 30 से 36 में वर्णित प्रकृति का व्यय नहीं होना)

व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या खर्च किए गए पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय) को "व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ" शीर्षक के तहत प्रभार्य आय की गणना करने की अनुमति दी जाएगी।

घोषित किया कि किसी निर्धारिती द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी व्यय जो एक अपराध है या जो कानून द्वारा निषिद्ध है, इस उद्देश्य के लिए किया गया नहीं माना जाएगा। व्यवसाय या पेशे की और ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती या भत्ता नहीं दिया जाएगा।

12. प्रत्येक निर्धारिती की आय का निर्धारण अधिनियम के अध्याय IV, भाग D द्वारा निर्धारित वैधानिक ढांचे के अनुसार किया जाना चाहिए। यह आय के शीर्ष से संबंधित है। अधिनियम की धारा 28 'लाभ और लाभ या व्यवसाय' शीर्षक के तहत कर के लिए आय की व्यवहार्यता से संबंधित है। अन्य कटौती जो एक निर्धारिती कर सकता है, अधिनियम की धारा 36 के तहत विस्तृत की गई है, जो निम्नलिखित खंडों में प्रदान की गई कटौती के साथ शुरू होती है।कम्प्यूटिंग [2022] 7 एस. सी. आर. में, उसमें निपटाए गए मामलों के संबंध में कम किया गया।

धारा 28 में निर्दिष्ट आय। इसलिए, कर के लिए प्रभार्य आय की गणना के प्रयोजनों के लिए, विशिष्ट कटौती के अलावा, धारा 36 के विभिन्न खंडों में गणना की गई 'अन्य कटौती' की अनुमति एओ द्वारा दी जा सकती है। प्रत्येक कटौती निर्धारिती द्वारा किए गए व्यवसाय से संबंधित होनी चाहिए। यदि निर्धारिती कोई व्यवसाय करता है और व्यवसाय से संबंधित ऋण को अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल देता है, तो वह निस्संदेह आई. टी. अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन धारा 36 की उप-धारा (1) के खंड (vii) के तहत संबंधित कटौती का हकदार होगा। 13. 1989 में संशोधन से पहले, कानून यह था कि ऐसे मामलों में भी जहां निर्धारिती ने अपने खातों में केवल खराब ऋण और उस पर ब्याज के लिए प्रावधान किया था, निर्धारिती के लाभ और हानि खाते से वास्तव में राशि का भुगतान किए बिना, निर्धारिती अभी भी अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) के तहत कटौती का दावा कर सकता है। 1 अप्रैल 1989 से, धारा के तहत नए स्पष्टीकरण को शामिल करने के साथ

36 (1) ((vii) निर्धारिती के खाते में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखे गए किसी भी खराब ऋण में निर्धारिती के खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋण के लिए कोई 'प्रावधान' शामिल नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, इस तारीख से पहले, एक प्रावधान को भी बख्शा माना जा सकता था। हालांकि, इस तारीख के बाद, धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण में बदलाव आया। नतीजतन, केवल अपने आप में खराब ऋण का प्रावधान धारा 36 (1) (vii) के तहत कटौती का हकदार नहीं था। कानून में इस स्थिति को इस अदालत द्वारा सदर्न टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बनाम में मान्यता दी गई थी। संयुक्त आयकर आयुक्त, कोयंबटूर ":

36 (1) (vii)। नतीजतन, आई. डी. 1 के बाद, केवल खराब ऋण के लिए प्रावधान धारा के तहत कटौती का हकदार नहीं होगा। 36 (1) (vii)। उपरोक्त द्विभाजन को समझने के लिए, किसी को यह समझना चाहिए कि "कैसे बख्शा जाए"। यदि कोई निर्धारिती किसी राशि को डेबिट करता है

पी एंड एल खाते में संदिग्ध ऋण और परिसंपत्ति को जमा करना

(2010) 2 एससीआर 380।

पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

विभिन्न प्रकार के देनदार के खाते की तरह, यह एक वास्तविक ऋण को बट्टे खाते में डालने का गठन करेगा। हालांकि, यदि कोई निर्धारिती पी एंड एल खाते में "संदिग्ध ऋण के प्रावधान" को डेबिट करता है और "वर्तमान देनदारियों और देनदारियों" के अनुरूप क्रेडिट करता है।

तुलनपत्र के देयता पक्ष में प्रावधान, तब यह संदिग्ध ऋण के लिए एक प्रावधान का गठन करेगा। बाद के मामले में, निर्धारिती बाद में कटौती का हकदार नहीं होगा।

1.4.1989 .

38. ध्यान देने योग्य बात यह है कि आई. टी. अधिनियम "वास्तविक आय" पर एक कर है, अर्थात आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन वाणिज्यिक सिद्धांतों पर प्राप्त लाभ। इसलिए, यदि धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण द्वारा संदिग्ध ऋण के लिए एक प्रावधान को खराब ऋण के दायरे से बाहर रखा जाता है, जिसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, तो किसी को आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय की गणना में उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखना होगा, जिसमें विफल रहने पर वास्तविक लाभ का पता नहीं लगाया जा सकता है। यही वह जगह है जहाँ "ऐड बैक" की अवधारणा आती है। हमारे विचार में, 1998 के निर्देशों के तहत पी एंड एल खाते में डेबिट किए गए एन. पी. ए. का प्रावधान केवल एक काल्पनिक व्यय है और इसलिए, आई. टी. अधिनियम के तहत कुल आय की गणना में उस हद तक वापस जोड़ा जाएगा।

39. एन. बी. एफ. सी. की ओर से हमारे सामने उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि इस मामले में एन. पी. ए. के खिलाफ प्रावधान की कर योग्य आय में "वापस जोड़ने" की कोई गुंजाइश नहीं है। मूल्यांकनकर्ता। हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। आई. टी. के तहत

अधिनियम, शुल्क लाभ और लाभ पर होता है, न कि सकल प्राप्तियों पर (जिसमें, हालांकि, लाभ अंतर्निहित होते हैं)। इसलिए, आईटी अधिनियम की आवश्यकताओं के अधीन, आईटी अधिनियम के तहत मूल्यांकन किए जाने वाले लाभ वास्तविक लाभ होने चाहिए जिनकी गणना वाणिज्यिक लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों पर की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लाभ की गणना व्यवसाय के लिए किए गए नुकसान/खर्चों में कटौती करने के बाद की जानी चाहिए, भले ही ऐसे नुकसान/खर्च आईटी अधिनियम की धारा 30 से 43 डी के तहत स्वीकार्य न हों, जब तक कि ऐसे नुकसान/खर्च स्पष्ट रूप से न हों।

या अधिनियम द्वारा अस्वीकृत आवश्यक निहितार्थ द्वारा। इसलिए, यहां तक कि वास्तविक आय के सिद्धांत को लागू करते हुए, एक डेबिट जो है

धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकृत, यदि दावा किया जाता है, तो इसे [2022] 7 एस. सी. आर. की कुल आय में वापस जोड़ा जाना चाहिए।

निर्धारिती क्योंकि उक्त अधिनियम "वास्तविक आय" पर कर लगाने का प्रयास करता है

जो आय की गणना साधारण वाणिज्यिक के अनुसार की जाती है

सिद्धांत लेकिन आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन। के तहत

स्पष्टीकरण के साथ पठित धारा 36 (1) (vii) में लिखा है -

भत्ते के लिए एक शर्त "।

14. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि केवल एक खराब और संदिग्ध ऋण का उल्लेख करना

में उचित उपचार के बिना अपरिवर्तनीय लेखन

यू. एन. टी. एस., साथ ही अनुभाग की शर्तों का गैर-अनुपालन

(vii), 36 (2), और धारा 36 (1) (vii) का स्पष्टीकरण निर्धारिती को कटौती का दावा करने का हकदार नहीं बनाएगा। इस स्थिति को फिर से दोहराया गया था

ओलिक सीरियन बैंक (ऊपर):

" 5. अधिनियम की धारा 36 (1) (vii) की भाषा है -

यह सभी बैंकों पर लागू होता है, चाहे वे वाणिज्यिक हों या ग्रामीण, अनुसूचित या अनिर्धारित। यह निर्धारिती को दावा करने का लाभ देता है

किसी भी बुरे ऋण या उसके हिस्से पर कटौती, जो लिखा गया है के लिए निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बंद

पिछले साल। यह लाभ केवल धारा 36 (2) के अधीन है।

अधिनियम। निर्धारिती के लिए यह साबित करना अनिवार्य है कि

आकलन अधिकारी कि मामला सामग्री को संतुष्ट करता है

एक ओर धारा 36 (1) (vii) और यह कि यह संतुष्ट करता है

धारा 36 (1) (vii) का परंतुक, पूर्ण शब्दों में, इस प्रावधान के अनुप्रयोग को नियंत्रित नहीं करता है जैसा कि इसमें आता है। संचालन केवल तभी किया जाता है जब निर्धारिती का मामला ऐसा हो जो

यह अधिनियम की धारा 36 (1) (viia) के तहत आता है। हम कर सकते हैं

यह भी ध्यान दें कि धारा 36 (1) (vii) का स्पष्टीकरण,

वित्त अधिनियम, 2001 द्वारा प्रस्तुत, की जांच की जानी चाहिए मुख्य खंड के साथ संयोजन। इसका स्पष्टीकरण

विशेष रूप से खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए किसी भी प्रावधान को बाहर रखा गया है।

निर्धारिती के खाते में दायरे और दायरे से किया गया

किसी भी खराब ऋण या उसके हिस्से को अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

निर्धारिती के खातों में '। इस प्रकार, बनाने की अवधारणा

खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए एक प्रावधान बाहर गिर जाएगा

धारा 36 (1) (vii) सरलीकरण का दायरा। प्रावधान, जैसा कि पहले से ही है

ध्यान दिया, धारा के प्रावधानों के साथ पढ़ना होगा

36 (1) (viia) अधिनियम का "। पीआर।

15. निर्धारिती ने टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया था। उस फैसले में, इस अदालत ने अन्य बातों के साथ यह टिप्पणी की थी किः

वास्तव में, अपरिवर्तनीय हो गया है। यह काफी है अगर बुरा है ऋण को खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा जाता है

मूल्यांकनकर्ता। हालाँकि, वर्तमान मामले में, निर्धारण अधिकारी ने इस बात की जांच नहीं की है कि क्या ऋण वास्तव में निर्धारिती के खातों में बट्टे खाते में डाल दिया गया है। जब खराब ऋण होता है,

खराब ऋण खाते से डेबिट किया जाता है और ग्राहक का खाता है

इस प्रकार, ग्राहक का खाता बंद कर दिया जाता है। कंपनियों के मामले में, प्रावधान सुंदर ऋणदाताओं से काटा जाता है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, मूल्यांकन अधिकारी ने जाँच नहीं की है।

क्या वास्तव में, खराब ऋण या उसका कुछ हिस्सा निर्धारिती के खातों में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। यह अभ्यास नहीं किया गया है निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया। अतः यह मामला नए सिरे से विचार के लिए निर्धारण अधिकारी को भेजा जाता है।

केवल उपर्युक्त पहलू का और वह भी केवल बख्शीश की सीमा तक।

16. इस न्यायालय ने इस अवधि के दौरान निर्धारिती के खातों में धारा 36 (2) के प्रभाव और बट्टे खाते की शर्त की जांच नहीं की।

पिछले वर्ष, T.R.FLtd में। (ऊपर)। हालांकि, सदर्न टेक्नोलॉजीज (ऊपर) और कैथोलिक सीरियन बैंक (ऊपर) में दिए गए फैसलों में उन शर्तों को स्पष्ट किया गया है जिनके अधीन एक निर्धारिती खराब और संदिग्ध ऋण को माफ कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि कपाडिया, सी. जे. टी. आर. एफ. और कैथोलिक सीरियन बैंक के एक पक्ष थे; उन्होंने वास्तव में दक्षिणी में निर्णय लिखा था। प्रौद्योगिकी। इसके अलावा, कैथोलिक सीरियन बैंक (ऊपर) तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा होता है, जबकि अन्य निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा होते हैं। इन परिस्थितियों में, इस न्यायालय को दक्षिणी प्रौद्योगिकी (उपर्युक्त) को प्राथमिकता देनी होगी।

17. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि -

(i) किसी भी खराब ऋण या उसके हिस्से की राशि को निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए।

पिछले वर्ष;

((ii) ऐसे खराब ऋण या उसके कुछ हिस्से को निर्धारिती के खातों में अपरिवर्तनीय के रूप में बट्टे खाते में डालने में निर्धारिती के खातों में किए गए खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान शामिल नहीं हो सकता है; [2022] 7 एस. सी. आर.

((ग) कोई कटौती तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि "उस पूर्ववर्ष की आय की गणना में जिसमें ऐसे ऋण की राशि या उसके हिस्से को बट्टे खाते में डाल दिया गया है या पिछले वर्ष की आय की गणना में ऋण या उसके हिस्से को ध्यान में नहीं रखा गया है", या यह बैंकिंग या धन-ऋण के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दिए गए धन का प्रतिनिधित्व करता है जो निर्धारिती द्वारा किया जाता है।

((iv) निर्धारिती एओ के समक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य है कि मामला

धारा 36 (1) (vii) के साथ-साथ धारा के अवयवों को संतुष्ट करता है।

36 (2) अधिनियम से।

18. वर्तमान मामले में, अभिलेख से पता चलता है कि निर्धारिती के खातों में कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि उसके द्वारा

मेसर्स सी. भंसाली डेवलपर्स प्रा. व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में लिमिटेड। इसका प्राथमिक तर्क यह था कि 10 करोड़ रुपये की राशि निर्मित परिसर खरीदने के उद्देश्य से दी गई थी। हालांकि, यह राशि

28.03.2009 पर लिखा-बंद था। जैसा कि सी. आई. टी. (ए) द्वारा उल्लेख किया गया है, भुगतान के संबंध में इस प्रस्तुति को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।

राशि, वह समय जिसके द्वारा निर्मित इकाई को दिया जाना था, वह क्षेत्र जो खरीदने के लिए सहमत था, आदि। समान रूप से, अपने अन्य तर्क के समर्थन में कि राशि ऋण के रूप में दी गई थी, निर्धारिती ने कहीं भी अग्रिम की अवधि, उस पर लागू नियमों और शर्तों, देय ब्याज आदि को स्थापित नहीं किया। निर्धारिती ने स्वीकार किया कि उसे संबंधित निर्धारण वर्ष के लिए ब्याज आय प्राप्त हुई थी। हालाँकि, यह स्थापित नहीं कर सका कि 10 करोड़ की राशि के लिए कोई ब्याज का भुगतान किया गया था (या उसके खातों में देय दिखाया गया था)। इसके अलावा, सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है

कि कानून की इस आवश्यकता को पूरा कर लिया गया था कि पिछले वर्ष के लिए निर्धारिती के खातों में खराब ऋण को अपरिवर्तनीय के रूप में लिखा गया था। राशि को बट्टे खाते में न डालने का एक अन्य कारण यह है कि निर्धारिती का दावा था कि यह मेसर्स भंसाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। लिमिटेड अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए-इसलिए, यह पूंजीगत व्यय की प्रकृति में था। इसे व्यावसायिक व्यय के रूप में नहीं माना जा सकता था। ए. वी. थॉमस एंड कंपनी। लिमिटेड, एलेप्पी बनाम। आयकर आयुक्त, (बैंगलोर) केरल इस अदालत ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 16. अब, एस के तहत एक प्रश्न। 10 (2) (xi) केवल तभी उत्पन्न हो सकता है जब वहाँ

एक बुरा या संदिग्ध ऋण है। इससे पहले कि कोई ऋण खराब हो जाए या

संदेह है कि यह पहले एक ऋण होना चाहिए। इसमें ऋण का क्या अर्थ है?

10 10 [1963] सप्लीमेंट (1) एससीआर 776।

पीआर। आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कर्टिस बनाम में रॉलेट जे. द्वारा संबंध निर्धारित किया गया था। जे. एंड जी.

ओल्डफील्ड लिमिटेड, (1925) 9 टी. सी. 319 निम्नानुसार हैः

" जब नियम खराब ऋण की बात करता है तो इसका अर्थ है एक ऐसा ऋण जो

एक ऋण जो तुलनपत्र में एक के रूप में आया होगा

उस व्यापार में व्यापारिक ऋण जो विचाराधीन है और जो खराब है।

इसका वास्तव में कोई बुरा ऋण नहीं है जो, जब यह एक था

अच्छा ऋण, लाभ बढ़ाने के लिए नहीं आया होगा। '

17. ऐसे मामलों में ऋण एक बकाया है जो यदि वसूल किया जाता है।

मुनाफे में वृद्धि होगी। यह पैसा नहीं दिया गया है।

किसी को एक चीज़ खरीदने के लिए जो उस व्यक्ति के पास है

कोई खरीद नहीं किए जाने के बावजूद वापस नहीं आया। में

ऋण की धारा का अर्थ केवल अग्रिम राशि से कुछ अधिक है। यह.

इसका अर्थ कुछ ऐसा है जो व्यवसाय या उसके परिणामों से संबंधित है। यह। खराब या संदिग्ध ऋण के रूप में दावा करने के लिए इसे पहले होना चाहिए

उचित ऋण के रूप में दिखाया गया है।

19. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि खराब और संदिग्ध ऋण के रूप में 10 करोड़ की कटौती के लिए निर्धारिती का दावा नहीं किया जा सकता है। अनुमति दी गई है। इसके विपरीत, आई. टी. ए. टी. और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अतार्किक हैं और उन्हें दरकिनार किया जाना चाहिए।

20. दूसरा मुद्दा व्यय की स्वीकार्यता से संबंधित है।

एक कटौती के रूप में, जो धारा 28 से 43 के प्रावधानों के भीतर नहीं आती है, और प्रकृति में पूंजी नहीं है, लेकिन अधिनियम की धारा 37 के तहत विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित या खर्च की जाती है। एक समान प्रावधान पुराने आयकर अधिनियम, 1922 के तहत मौजूद था जैसा कि धारा 10 (2) 1 1 द्वारा खराब ऋण के प्रावधान के मामले में था। इस पहलू पर विचार किया गया था

11 धारा 10 (2): [लाभ या लाभ की गणना निम्नलिखित भत्ते देने के बाद की जाएगी, अर्थात्ः

***

(xi) जब निर्धारिती के अपने व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के किसी भी हिस्से के संबंध में खाते नकद आधार पर नहीं रखे जाते हैं, तो निर्धारिती के अपने व्यवसाय, पेशे या व्यवसाय के उस हिस्से के संबंध में बकाया और संदिग्ध ऋणों के संबंध में और बैंकिंग या धन उधार देने का व्यवसाय करने वाले निर्धारिती के मामले में ऐसी राशि जो आय-कर अधिकारी के रूप में ऐसे व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में किए गए ऋणों के संबंध में अपरिवर्तनीय होने का अनुमान लगा सकता है, लेकिन निर्धारिती की पुस्तकों में अप्रवर्तनीय के रूप में वास्तव में बट्टे खाते में लिखी गई राशि से अधिक नहीं है:

***

(xv) ऐसा कोई भी व्यय (जो खंड (i) से (xiv) में वर्णित प्रकृति का भत्ता नहीं है, और जो पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति का नहीं है) जो ऐसे व्यवसाय, पेशे या व्यवसायों के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या व्यय किया गया है।

आयकर आयुक्त बनाम। मैसूर शुगर कं., Ltd.[1]2 वहाँ का निर्धारिती चीनी के उत्पादन में लगा हुआ था। यह आपूर्ति के विचार में गन्ना उत्पादकों को अग्रिम धन देता था

गन्ना। सूखे के कारण गन्ना उत्पादक अग्रिम राशि का भुगतान नहीं कर सके। निर्धारिती ने बकाया बकाया ऋण होने का दावा किया और उन्हें बट्टे खाते में डालने की मांग की। इसकी अनुमति नहीं थी; आयकर अधिकारी ने खर्च को पूंजी प्रकृति का माना। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उस निर्णय को दरकिनार कर दिया। इस अदालत ने उच्च न्यायालय के विचार की पुष्टि की। हालांकि, अदालत ने इस तर्क की भी जांच की कि क्या ऐसी घटनाओं में, व्यय को विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य (अधिनियम की धारा 37 (1) के अनुरूप प्रावधान के तहत) के लिए निर्धारित किया जा सकता है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दियाः

खराब और संदिग्ध ऋणों के संबंध में निर्धारिती को अपने व्यवसाय के उस हिस्से के संबंध में देय ऐसी राशि का आधार है - कटौती योग्य लेकिन निर्धारिती की पुस्तकों में अप्राप्य के रूप में वास्तव में लिखी गई राशि से अधिक नहीं। खंड (xv) किसी भी खर्च की अनुमति देता है जो सी. एल. एस. में शामिल नहीं है। (i) से (xiv) तक, जो पूँजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति में नहीं है।

निर्धारिती की, जिसकी कटौती की जानी है, यदि ऐसा व्यवसाय आदि के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से निर्धारित या विस्तारित किया गया है। द.

खंडों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि क्या काटा जा सकता है; लेकिन इस धारा की सामान्य योजना यह है कि लाभ या लाभ की गणना व्यावसायिक व्यय के रूप में उचित रूप से जिम्मेदार व्यय की कटौती के बाद की जानी चाहिए, लेकिन ताकि पूंजीगत प्रकृति के व्यय के किसी भी हिस्से की कटौती न की जा सके। यदि कोई व्यय भत्तों के किसी भी गणना किए गए वर्ग के भीतर आता है, तो मामले पर उपयुक्त वर्ग के तहत विचार किया जा सकता है; लेकिन एक ऐसा व्यय हो सकता है जो, हालांकि किसी भी भत्ते के अंतर्गत नहीं आता है।

1 2 1963 (2) एससीआर 976 पीआर।

आय कर आयुक्त कर 6 v. खयाति रियल्टर्स पी. वी. टी. लिमिटेड। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

सही आकलन योग्य लाभ या लाभ का पता लगाने में गणना किए गए वर्गों पर विचार करना पड़ सकता है। यह प्रिवी काउंसिल द्वारा आयकर आयुक्त बनाम में निर्धारित किया गया था। चिटनाविस आई. एल. आर. (1932) आई. एन. डी. ए. पी. 290 और इस न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। दूसरे शब्दों में, एस। 10 (2) कटौती के साथ पूरी तरह से सौदा नहीं करता है, जो सही पर पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए लाभ और
लाभ।

8. यह पता लगाने के लिए कि कोई खर्च पूंजी खाते में है या राजस्व पर, किसी को व्यवसाय के संबंध में खर्च पर विचार करना चाहिए। चूँकि सभी भुगतानों में पूंजी कम हो जाती है

अंतिम विश्लेषण में, नुकसान को हानि पूंजी के रूप में माना जा सकता है। लेकिन यह सभी नुकसानों के बारे में सच नहीं है, क्योंकि व्यवसाय चलाने में नुकसान को पूंजी का नहीं कहा जा सकता है। इस संबंध में जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं: इसके लिए पैसा रखा गया था? क्या यह व्यवसाय के लाभ के लिए एक स्थायी प्रकृति की संपत्ति हासिल करने के लिए था, या यह व्यवसाय करने में एक बहिर्गामी था? यदि पहली परिस्थितियों में धन का नुकसान होता है, तो यह पूंजी का नुकसान है, लेकिन दूसरी परिस्थितियों में नुकसान होने पर यह राजस्व का नुकसान है। पहले में, यह एक निवेश के चरित्र को दर्शाता है, लेकिन दूसरे में, आम तौर पर समझे जाने वाले वाक्यांश का उपयोग करने के लिए, यह वर्तमान के चरित्र को दर्शाता है।

खर्च।

21. यह स्पष्ट है कि यह न्यायालय संतुष्ट था कि खराब और संदिग्ध ऋण के कारण राशि की अस्वीकृति, एक

कटौती के लिए दावा, इस आधार पर कि व्यय विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया था। अदालत ने इस परीक्षण को लागू किया कि क्या खर्च व्यवसाय के लिए किया गया था, या क्या यह पूंजी प्रवाह में आता है। मामले के तथ्यों में, परीक्षण संतुष्ट थे-खर्च व्यवसाय के उद्देश्य के लिए था, और पूंजी प्रवाह में नहीं आता था। 22. निर्धारिती ने उच्च न्यायालय के कुछ फैसलों पर भरोसा किया था जिन्होंने फैसला सुनाया है कि भले ही धारा 36 (1) के तहत कटौती के दावे की अनुमति नहीं है, धारा 37 के तहत इसके बहिष्करण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस अदालत की राय है कि कानून के एक प्रस्ताव के रूप में, वह उच्चारण असाधारण है, क्योंकि व्यय के प्रमुख जिनका दावा किया जा सकता है

कटौती संपूर्ण नहीं है-जो इसका सटीक कारण है

धारा 37 का अस्तित्व। इसलिए, किसी दिए गए मामले में, यदि व्यय व्यवसाय से संबंधित है, और अन्य प्रावधानों के तहत इसके उपचार का दावा असफल है, तो धारा 37 का आवेदन स्वयं बाहर नहीं है।

23. हालाँकि, इस अदालत की राय है कि इस मामले के तथ्यों में, इस मुद्दे पर दक्षिणी प्रौद्योगिकी (उपरोक्त) में निर्णय (जहां खराब और संदिग्ध ऋण के दावे की अनुमति नहीं थी) उचित है, और

लागू होता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" 44. जैसा कि ऊपर बताया गया है, 1.4.1989 ड्रॉ के बाद धारा 36 (1) (vii)

बख्शीश और संदिग्ध के प्रावधान के बीच अंतर

ऋण। आई. टी. अधिनियम केवल संदिग्ध ऋण से संबंधित है। यह निर्धारिती को स्थापित करना है कि प्रावधान किया गया है क्योंकि ऋण अपरिवर्तनीय है। हालाँकि, स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए जो इस तरह के प्रावधान को खराब ऋण को "बट्टे खाते" के दायरे से बाहर रखता है, धारा 37 नहीं आ सकती है। यदि कोई वस्तु धारा 30 से 36 के तहत आती है, लेकिन धारा 36 (1) (vii) के स्पष्टीकरण द्वारा बाहर रखी जाती है तो धारा 37 नहीं आ सकती है। धारा 37 केवल उन वस्तुओं पर लागू होती है जो धारा 30 से 36 में नहीं आती हैं। यदि संदिग्ध ऋण के प्रावधान को धारा 36 (1) (vii) से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है तो ऐसा प्रावधान आईटी अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकता है, यहां तक कि ऊपर बताए गए "वास्तविक आय सिद्धांत" के आधार पर भी।

आई. टी. ए. टी. को इसके द्वारा अलग रखा जाता है। उपरोक्त शर्तों में, लागत पर आदेश के बिना, अपील की अनुमति है। देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)